न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग), पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री राधेश्याम (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्याः— 6/2019

दायरा दिनांक :— 7—10—2019

वादीः—

1. रामदयाल पुत्र लावुराम उम्र 50 वर्ष
2. आशकी पत्नी लावुराम उम्र 70 वर्ष
3. नाथुराम पुत्र प्रभुजी उम्र 65 वर्ष
4. चम्पालाल पुत्र शंकरजी उम्र 55 वर्ष
5. ढगलाराम पुत्र शंकरजी उम्र 48 वर्ष
6. जोगाराम पुत्र शंकरजी उम्र 35 वर्ष सभी जातिगण कुमावत (कुम्हार) निवासीगण जैतारण तहसील पाली जिला पाली राजस्थान

वनाम

प्रतिवादीगणः—

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जैतारण जिला पाली राजस्थान

उपस्थितिः—

1. श्री नारायण लाल कुमावत, विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण
2. श्री सुरेन्द्र सिंह लावाना, राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी ।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 144 व्यवहार प्रक्रिया संहिता

—:निर्णयः— दिनांक 30/12/2020

1. प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम सोमावास पटवार हल्का जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली की सरहद में कृषि भूमि खसरा संख्या 100 रकबा 244 बीघा 8 बिस्वा सहित अन्य कृषि भूमि खातेदार दौलतमल वल्द गणेशमल कौम महाजन साकिन जैतारण की आयी हुई है। दौलतमल पुत्र गणेशमल महाजन ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख अपने खातेदारी की कृषि भूमि खतरा संख्या 100 रकबा 244 बीघा 8 बिस्वा में से 40 बीघा 18 बिस्वा कृषि भूमि प्रार्थीगण के पिता/पति लावु व शंकर पिसरान परबूजी जाति कुम्हार को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 21.05.1996 को बेचाण कर दिया। जिसका नामान्तरण संख्या 22 दिनांक 18.12.1996 को लावु शंकर पिसरान परबू के नाम इन्द्राज हो गया तथा जमावंदी संवत् 2023 से 2026 में अमल दरामद किया गया। तब से उक्त भूमि पर प्रार्थीगण व उसके पूर्वज कब्जे काश्त करते आ रहे है तथा उपरोक्त कृषि भूमि के अमल दरामद के बाद बट्टा नंबर 100/133 दर्ज किये गये। जिसमें उक्त कृषि भूमि की विशिष्टीया हेतु पासबुक तैयार की गई। जिसमें लावु पुत्र प्रभु का 1/4 हिस्सा, नाथु पुत्र प्रभु का 1/4 हिस्सा व शंकर पुत्र प्रभु का 1/2 हिस्सा संलग्न पासबुक में दर्ज सुदा है। जो जमांवदी संतव् 2048 से 2051 में दर्ज है खातेदार दौलतमल पुत्र गणेशमल के विरूद्ध उपखण्ड अधिकार जैतारण ने सिलिंग कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये सिलिंग प्रकरण संख्या 7/69 (पुराना कानून) के तहत दर्ज करते हुये अपने आदेश दिनांक 09.04.1971 के द्वारा खातेदार दौलतमल के पास सीलिंग सीमा से कम भूमि होना मानते हुये सीलिंग प्रकरणों को समाप्त करने का आदेश प्रदान कर दिया। तत्पश्चात् राज्य सरकार की जानकारी में उक्त निर्णय लाये जाने पर राज्य सरकार द्वारा उक्त निर्णय का विधिक परीक्षण कराये जाने के बाद उक्त निर्णय को राज्य हित के विपरीत मानते हुये अपने आदेश दिनांक 23.10.1981 द्वारा सिलिंग

अति. जिला कलेक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

प्रकरणों को री–ओपन करते हुये पुनः निर्णय हेतु अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली को प्रकरण प्रतिप्रेशित किये गये। श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली द्वारा राज्य सरकार के री–ओपन आदेश की पालना में खातेदार दौलतमल के विरूद्ध प्रकरणों को दर्ज रजिस्टर्ड कर खातेदार को नोटिस जारी किये। तत्पश्चात् उक्त प्रकरणों में श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सिलिंग) पाली द्वारा अपने निर्णय दिनांक 25.07.1996 के द्वारा खातेदार दौलतमल के पास धारण में कुल 284.55 स्टेण्डर्ड भूमि होना मानते हुये। उसको 30 स्टेण्डर्ड एकड भूमि रखने का अधिकार मानते हुये भोश 254.55 स्टेण्डर्ड भूमि अधिकृत करने का आदेश प्रदान किये। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी द्वारा नामान्तर संख्या 150 दिनांक 02.08.1996 के अनुसार खातेदार दौलतमल के नाम दर्ज कृषि भूमि सहित खसरा संख्या 100 व खसरा संख्या 100/133 की कृषि भूमि भी राज्य सरकार के नाम दर्ज किया गया।

उसके बाद श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग) पाली के निर्णय दिनांक 25.07.1996 के विरूद्ध खातेदार दौलतमल के पुत्र विजयमल व गंभीरमल ने दो अपीले 94/98 व 95/98 राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की। जिस पर माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 07.09.1998 के द्वारा अपीले स्वीकार की जाकर श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) पाली के निर्णय दिनांक 25.07.1996 को निरस्त करते हुये प्रकरण पुनः निर्णय हेतु श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग) पाली को प्रेतिप्रेषित किया गया। जिस पर श्रीमान न्यायालय ने प्रकरण को दर्ज रजिस्टर्ड करते हुये अपने निर्णय दिनांक 20.07.2007 के द्वारा रेस्पोडेन्ट खातेदार के पास सीलिंग सीमा से कम की आराजी होना मानते हुये सीलिंग प्रकरण को समाप्त करने का आदेश प्रदान किया। जिसके विरूद्ध श्रीमान राजस्व मण्डल अजमेर में सिलिंग अपील 8589/2007 राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई। जिसको श्रीमान राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 05.07.2017 व श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सिलिंग) पाली का निर्णय दिनांक 20.07.2007 अंतिम हो चुका है। जिसके अनुसार खातेदार दौलतमल के पास सिलिंग सीमा से कम आराजी मानते हुये सिलिंग प्रकरण को समाप्त कर दिया गया।

जब खातेदार दौलतमल के पास उपरोक्त निर्णयानुसार सिलिंग सीमा से कम भूमि मानते हुये सिलिंग प्रकरण को समाप्त कर दिया गया। ऐसी स्थिति में उपरोक्त सिलिंग प्रकरणों को समाप्त कर दिया गया। ऐसी स्थिति में उपरोक्त सिलिंग प्रकरणों के दौरान खातेदार दौलतमल से खसरा संख्या 100 रकबा 244 बीघा 8 बिस्वा में से 40 बीघा 18 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण के पिता/पति लाबू शंकर पिसरान परबू द्वारा खरीद की गयी कृशि भूमि को नामान्तरण संख्या 150 दिनांक 02.08.1996 के तहत राज्य सरकार के नाम दर्ज की थी। उपरोक्त कृषि भूमि को पुनः खातेदार लाबु भांकर पिसरान परबू के विधिक वारिसान प्रार्थीगण के नाम दर्ज किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है। उपरोक्त सीलिंग प्रकरणों के निस्तारण के पश्चात् प्रार्थीगण के पिता/पति लाबू शंकर पिसरान परबू द्वारा खरीद की गयी कृषि भूमि को सिलिंग प्रभावित नहीं माना है तथा इस कारण से गलत तरीके से अप्रार्थीगण ने उपरोक्त कृषि भूमि खसरा संख्या 100/133 रकबा 40 बीघा 18 बिस्वा राज्य सरकार के नाम दर्ज किया है। जिसको पुनः प्रार्थीगण के नाम दर्ज किये जाना कानूनी आवश्यक व न्याय संगत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि मौजा ग्राम सोमावास पटवार हल्का जैतारण तहसील जैतारण के खसरा संख्या 100/133 की कृषि भूमि का नामान्तरण प्रार्थीगण के नाम भरे जाने का आदेश प्रदान करावें।

2. प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

3. विद्धान अभिभाषक अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नही कर सीधे बहस हेतू निवेदन किया गया।

4. जिस पर बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

अति. जिला कलेक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

5. बहस के द्वौरान प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपने आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा ग्राम सोमावास पटवार हल्का जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली की सरहद मे कृषि भूमि खसरा संख्या 100 रकबा 244 बीघा 8 बिस्वा सहित अन्य कृषि भूमि खातेदार दौलतमल वल्द गणेशमल कौम महाजन साकिन जैतारण की आयी हुई है। दौलतमल पुत्र गणेशमल महाजन ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख अपने खातेदारी की कृषि भूमि खतरा संख्या 100 रकबा 244 बीघा 8 बिस्वा में से 40 बीघा 18 बिस्वा कृषि भूमि प्रार्थीगण के पिता/पति लाबु व शंकर पिसरान परबूजी जाति कुम्हार को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 21.05.1996 को बेचाण कर दिया। जिसका नामान्तरण संख्या 22 दिनांक 18.12.1996 को लाबु शंकर पिसरान परबू के नाम इन्द्राज हो गया तथा जमाबंदी संवत् 2023 से 2026 में अमल दरामद किया गया। तब से उक्त भूमि पर प्रार्थीगण व उसके पूर्वज कब्जेकाश्त करते आ रहे है तथा उपरोक्त कृषि भूमि के अमद दरामद के बाद बट्टा नंबर 100/133 दर्ज किये गये। जिसमें उक्त कृषि भूमि की विशिष्टीया हेतु पासबुक तैयार की गई। जिसमें लाबु पुत्र प्रभु का 1/4 हिस्सा, नाथु पुत्र प्रभु का 1/4 हिस्सा व शंकर पुत्र प्रभु का 1/2 हिस्सा पासबुक तथा जमांबदी संवत् 2048 से 2051 में दर्ज है खातेदार दौलतमल पुत्र गणेशमल के विरूद्ध उपखण्ड अधिकार जैतारण ने सिलिंग कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये सिलिंग प्रकरण संख्या 7/69 (पुराना कानून) के तहत दर्ज करते हुये अपने आदेश दिनांक 09.04.1971 के द्वारा खातेदार दौलतमल के पास सिलिंग सीमा से कम भूमि होना मानते हुये सिलिंग प्रकरणों को समाप्त करने का आदेश प्रदान कर दिया। तत्पश्चात् राज्य सरकार की जानकारी में उक्त निर्णय लाये जाने पर राज्य सरकार द्वारा उक्त निर्णय का विधिक परीक्षण कराये जाने के बाद उक्त निर्णय को राज्य हित के विपरीत मानते हुये अपने आदेश दिनांक 23.10.1981 द्वारा सिलिंग प्रकरणों को री–ओपन करते हुये पुनः निर्णय हेतु अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली को प्रकरण प्रतिप्रेशित किये गये। अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली द्वारा राज्य सरकार के री–ओपन आदेश की पालना में खातेदार दौलतमल के विरूद्ध प्रकरणों को दर्ज रजिस्टर्ड कर खातेदार को नोटिस जारी किये। तत्पश्चात् उक्त प्रकरणों में श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सिलिंग) पाली द्वारा अपने निर्णय दिनांक 25.07.1996 के द्वारा खातेदार दौलतमल के पास धारण में कुल 284.55 स्टेण्डर्ड भूमि होना मानते हुये। उसको 30 स्टेण्डर्ड एकड भूमि रखने का अधिकार मानते हुये शेष 254.55 स्टेण्डर्ड भूमि अधिकृत करने का आदेश प्रदान किये। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी द्वारा नामान्तर संख्या 150 दिनांक 02.08.1996 के अनुसार खातेदार दौलतमल के नाम दर्ज कृषि भूमि सहित खसरा संख्या 100 व बटा संख्या 100/133 की कृषि भूमि भी राज्य सरकार के नाम दर्ज किया गया। उसके बाद श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग) पाली के निर्णय दिनांक 25.07.1996 के विरूद्ध खातेदार दौलतमल के पुत्र विजयमल व गंभीरमल ने दो अपीले 94/98 व 95/98 राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की। जिस पर माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 07.09.1998 के द्वारा अपीले स्वीकार की जाकर श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) पाली के निर्णय दिनांक 25.07.1996 को निरस्त करते हुये प्रकरण पुनः निर्णय हेतु श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग) पाली को प्रेतिप्रेषित किया गया। जिस पर श्रीमान न्यायालय ने प्रकरण को दर्ज रजिस्डर्ड करते हुये अपने निर्णय दिनांक 20.07.2007 के द्वारा रेस्पोडेन्ट खातेदार के पास सिलिंग सीमा से कम की आराजी होना मानते हुये सिलिंग प्रकरण को समाप्त करने का आदेश प्रदान किया। जिसके विरूद्ध श्रीमान राजस्व मण्डल अजमेर में सिलिंग अपील 8589/2007 राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई। जिसको श्रीमान राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 05.07.2017 व श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सिलिंग) पाली का निर्णय दिनांक 20.07.2007 अंतिम हो चुका है। जिसके अनुसार खातेदार दौलतमल के पास सिलिंग सीमा से कम आराजी मानते हुये सीलिंग प्रकरण को समाप्त कर दिया गया। जब खातेदार दौलतमल के पास उपरोक्त निर्णयानुसार सिलिंग सीमा से कम भूमि मानते हुये सीलिंग प्रकरण को समाप्त कर दिया गया। ऐसी स्थिति में उपरोक्त सीलिंग प्रकरणों को समाप्त कर दिया गया। ऐसी स्थिति में उपरोक्त सीलिंग प्रकरणों के दौरान खातेदार दौलतमल से खसरा संख्या 100 रकबा 244 बीघा 8 बिस्वा में से 40 बीघा 18 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण के पिता/पति लाबू शंकर पिसरान परबू द्वारा खरीद की गयी कृशि भूमि को नामान्तरण संख्या 150 दिनांक 02.08.1996

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

के तहत राज्य सरकार के नाम दर्ज की थी। उपरोक्त कृषि भूमि को पुनः खातेदार लाबु शंकर पिसरान परबू के विधिक वारिसान प्रार्थीगण के नाम दर्ज किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है। उपरोक्त सिलिंग प्रकरणों के निस्तारण के पश्चात् प्रार्थीगण के पिता/पति लाबू शंकर पिसरान परबू द्वारा खरीद की गयी कृषि भूमि को सिलिंग प्रभावित नही माना है तथा इस कारण से गलत तरीके से अप्रार्थीगण ने उपरोक्त कृषि भूमि खसरा संख्या 100/133 रकबा 40 बीघा 18 बिस्वा राज्य सरकार के नाम दर्ज किया है। जिसको पुनः प्रार्थीगण के नाम दर्ज किये जाना कानूनी आवश्यक व न्याय संगत है। अतः मौजा ग्राम सोमावास पटवार हल्का जैतारण तहसील जैतारण के खसरा संख्या 100/133 की कृषि भूमि का नामान्तरण प्रार्थीगण के नाम भरे जाने का आदेश प्रदान करावें।

6. राजकीय अधिवक्ता ने अपने बहस में जाहिर किया कि प्रार्थीगण उपरोक्त सीलिंग कार्यवाही मे पक्षकार नहीं है। विधिक रूप से वही व्यक्ति आवेदन कर सकता है, जो उपरोक्त सीलिंग कार्यवाही के प्रकरणों में पक्षकार रहा है। इस कारण से आवेदन विधिक रूप से पोषणीय नहीं है। प्रार्थी द्वारा जिस विक्रय पत्र के आधार पर भूमि खरीद करना बताया जा रहा है। उक्त विक्रय पत्र को विधिक रूप से मान्यता दिये जाने के संबंध मे कोई दस्तावेज पेश नहीं किये, इसलिए आवेदन खारिज योग्य है।

7. दोनो पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरोक्त प्रकरण में वर्णित सीलिंग कार्यवाही सरकार और दौलतमल के बीच में चली थी, जिसमें अलग अलग समय से अलग अलग निर्णय पारित किये गये। उपरोक्त सिलिंग कार्यवाही में उक्त प्रकरण में वर्णित विक्रय पत्र को मान्यता दी गई हो, ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थी की ओर से पत्रावली में पेश नहीं किया गया है, साथ ही उपरोक्त सिलिंग कार्यवाही में प्रार्थी किसी भी न्यायालय में पक्षकार नहीं रहे हैं। विधिक रूप से धारा 144 के तहत् आवेदन वही व्यक्ति कर सकता है, जो उस कार्यवाही एवं मुकदमें में पक्षकार रहा हो। इस कारण से उपरोक्त प्रार्थी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है और आवेदन खारिज योग्य हैं।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 144 सीपीसी खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 30/12/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)